सिम स्वैपिंग, क्रिप्टोकरंसी इन्वेस्टमेंट और शेयर ट्रेडिंग के नाम से ठगी करने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार, 6 अलग-अलग प्रकरणों में की गई गिरफ्तारी

❐ पुणे, मुंबई, नासिक, दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर और रायपुर से किये गये गिरफ्तार

रायपुर। आरएनएस

रेंज साइबर थाना रायपुर की ने कार्यवाही करते हुए सिम स्वैपिंग, क्रिप्टोकरंसी इन्वेस्टमेंट और शेयर ट्रेडिंग के नाम से ठगी करने के 6 अलग-अलग प्रकरणों में 9 आरोपियों को पुणे, मुंबई, नासिक, दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर और रायपुर से गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के बैंक खाता में होल्ड रकम में से 6 लाख रुपए पीड़ितों के खाता में वापस डलवाये है वहीं प्रकरणों से संबंधित लेयर 1 बैंक अकाउंट में होल्ड 4.21 करोड़ रुपए पीड़ितों के खातों में जल्द वापसी प्रक्रियाधीन, अन्य लेयर के बैंक खाता में होल्ड 30 करोड़ रूपये का विश्लेषण किया जा रहा है।

बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा द्वारा रेंज साइबर थाना रायपुर को साइबर अपराधों में तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर आरोपियों की गिरफ्तारी करने एवं ठगी की रकम होल्ड/जप्त करने के संबंध में निर्देश दिया गया है। जिस पर कार्यवाही करते हुए रेंज साइबर थाना रायपुर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

जिसके तहत पहले मामले में प्रार्थी अनिमेष तिवारी ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम से उनसे 99 लाख रुपए ठगी होने की रिपोर्ट थाना तेलीबांधा में दर्ज कराया था। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 644/24 धारा 318 (4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी गई थी। विवेचना क्रम में आरोपी समीर थोरात पिता खंडेराव थोरात उम्र 25 वर्ष पता चादोंली अंबेगांव थाना मंचर पुणे महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी लाइसेंस बनाने एवं क्रञ्जह सम्बंधी कार्य करता है। पूर्व में एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।

दूसरे मामले में अभिषेक अग्रवाल ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम से उनसे 2.5करोड़ ठगी होने की रिपोर्ट थाना न्यू राजेंद्र नगर में दर्ज कराया था। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 430/24 धारा 318(4), 3(5) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी गई थी। विवेचना क्रम में आरोपी मयूरेश राजेंद्र गांगुर्दे पिता राजेंद्र गुलाब गांगुर्दे उम्र 31 वर्ष पता वाडीताल डिंडोरी जिला नासिक महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया है।

तीसरे मामले में प्रार्थी निशांत जैन ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम से उनसे 29 लाख ठगी होने की रिपोर्ट थाना तेलीबांधा में दर्ज कराया था। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 577/24 धारा 318(4), 61 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी गई थी। विवेचना क्रम में आरोपी आकाश विलास भालेराव पिता विलास भालेराव उम्र 25 वर्ष निवासी पिंपरी थाना येवोला जिला नासिक महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है।

चौथे मामले में प्रार्थी नवीन कुमार ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम से उनसे 1.39करोड़ ठगी होने की रिपोर्ट थाना तेलीबांधा में दर्ज कराया था। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 578/24 धारा 318(4), 3(5) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी गई थी। विवेचना क्रम में आरोपी अजय तिडके पिता किशन तिडके उम्र 27 वर्ष निवासी बालापुर नाकाहीरा खामगांव महाराष्ट्र जो पुणे महाराष्ट्र में छिप कर निवास कर रहा था को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।

पांचवे मामले में प्रार्थी चमन लाल साहू के बैंक अकाउंट में लिंक जिओ सिम को अज्ञात आरोपियों द्वारा श्व स्ढ़ढरू में पोर्ट कर उनसे ठगी होने की रिपोर्ट थाना राखी में दर्ज कराया था। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 225/24 धारा 318(4), बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी गई थी। विवेचना क्रम में आरोपी (1) मेराज आलम पिता एस आर अंसारी उम्र 25 वर्ष पता रू11 ओल्ड आदर्श नगर कसारीडीह कोतवाली दुर्ग,(2) नौशाद अंसारी पिता शहाबुद्दीन अंसारी उम्र 25 वर्ष पता मकान नंबर 39/331 गणेश नगर चुहियापारा बिलासपुर को गिरफ्तार किया गया है।

इसी तरह छटवें मामले में प्रार्थी निकिता पवार ने ऑनलाइन क्रिप्टोकरेंसी के नाम से उनसे 21 लाख रुपए की ठगी होने की रिपोर्ट रेंज साइबर थाना में अपराध क्रमांक 12/24 धारा 318(4), 3(5) बीएनएस दर्ज कराई थी। प्रकरण में तीन आरोपी (1) रविंदर सिंह चावला पिता ज्ञानसिंह चावला उम्र 53 वर्ष पंजाबी कॉलोनी महासमुंद, (2) दीपक टीलवानी पिता सुदामा लाल टीलवानी उम्र 31 वर्ष महावीर नगर न्यू राजेंद्र नगर रायपुर तथा (3) तरुण उर्फ रौनक नचरानी पिता राजेश नचरानी उम्र 24 वर्ष आनंद नगर तेलीबांधा को गिरफ्तार किया गया है। अन्य प्रकरणों में भी आरोपियों की म्यूल अकाउंट की संलिप्तता पाई गई है। पूर्व में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा पर जेल भेजा गया है।

महत्वपूर्ण एवं खास

महुआ पेड़ पर चढ़ा भालू : 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी भालू को पेड़ से उतारने में नाकाम रेस्क्यू टीम

अंबिकापुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक भालू 30 फीट उंचे महुआ के पेड़ पर चढ़ गया। जिसके बाद इसकी सूचना वन विभाग और पुलिस टीम को दी गई। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम भालू को पेड़ से उतरने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। करीब तीन घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं स्थानीय लोगों के भीड़ के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। उदयपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन सोनतराई का मामला है। वहीं अंबिकापुर में देर रात बस्ती में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान हाथियों ने तीन मवेशियों पर भी हमला कर दिया जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं इन हाथियों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं हाथियों के इस उत्पात से ग्रामीण अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। हाथियों के बस्ती में घुस आने से लोगों में दहशत का माहौल है। लखनुपर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत पटकुरा के घटोंन का यह मामला है।

डीईओ ने छात्रों को बांटे गर्म कपड़े

दुर्ग-रायपुर (आरएनएस)। उन्नयन माध्यमिक शाला बालक पाटन में जिला शिक्षा अधिकारी के कर कमलो द्वारा बच्चों को गर्म कपड़े वितरण किए गए। इस अवसर पर शाला प्रबंध समिति के अध्यक्ष, पाटन के वरिष्ठ नागरिक सम्माननीय जवाहरलाल गुप्ता, प्रशासक शिक्षा विनय मोहन भट्ट संस्था के प्रधान पाठक एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। जिला शिक्षा अधिकारी ने कक्षा आठवीं के बच्चे फरहान से 19 का पहाड़ा पूछा बच्चे ने फर्राटे से 19 का पहाड़ा पढ़ कर सुनाया सर प्रसन्न होकर500 की राशि बच्चों को प्रदान की शिक्षा के बढ़ावा के लिए उन्होंने इस तरह का तरकीब अपना कर न केवल बच्चों का हौसला अफजाई किया बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता उच्च हो अच्छा हो के लिए अच्छा संदेश दिया इस अवसर पर प्राथमिक शाला के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं माध्यमिक शाला के सभी शिक्षक शिक्षण सीएससी अशोक गुप्ता उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से रतना एवं एमिलिया को मिला बेहतर उपचार

❐ दर्द पर मरहम का कार्य करती मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना

रायगढ़

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संवेदनशील पहल 'मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना' मरीजों के लिए जीवनदायनी साबित हो रही है। योजना से गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है और आर्थिक रूप से परेशान लोगों के लिए दर्द पर मरहम का कार्य करती हुई एक नई आशा की किरण बन के दीप्तिमान हो रही है।

रायगढ़ विकासखंड के ग्राम कांशीचुवां निवासी रतना साहू विगत 04 वर्षों से ब्रेस्ट कैंसर के बीमारी से ग्रासित था। लेकिन समस्या अधिक बढ़ जाने के कारण मरीज को जिला अस्पताल रायगढ़, लेकर आया गया। अस्पताल के द्वारा पहले मरीज का चेकअप कराया गया। जिसमें ब्रेस्ट कैंसर होने की पुष्टि हुई। जिसके उपरांत मरीज को उपचार हेतु मेकाहारा रायपुर रिफर किया गया। मरीज के ईलाज हेतु अधिक राशि लगने के कारण वे अत्यधिक परेशान थे। जिसके उपरांत स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायगढ़ के आयुष्मान शाखा से मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की जानकारी दिये जाने पर हितग्राही द्वारा आवेदन किया गया। जिसमें हितग्राही को 8 लाख 28 हजार 854 लाख रुपए स्वीकृति प्राप्त होने पर मुफ्त ईलाज किया गया। वर्तमान में मरीज की कीमो प्रक्रिया किया जा रहा है।

इसी प्रकार रायगढ़ की बड़े अतरमुड़ा, विनोबा नगर निवासी एमिलिया केरकेट्टा विगत 05 माह से सर्दी, खासी की शिकायत से परेशान थी। समस्या अधिक बढ़ जाने के कारण मरीज को जेएमजे मॉर्निंग स्टार हॉस्पिटल, रायगढ़ जाना पड़ा। अस्पताल के द्वारा पहले मरीज का एक्स-रे कराया गया जिसमें कुछ पता नहीं चलने के बाद मरीज को अनुपम केडिया के पास सीटी स्कैन कराया गया। सिटी स्कैन पश्चात फेफड़े में पानी भरने का पता चला। उपचार हेतु डॉक्टर ने मरीज को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर रेफर किया। ईलाज के दौरान पैसे खत्म हो जाने पर स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायगढ़ के आयुष्मान शाखा से मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अन्तर्गत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त ईलाज होने की जानकारी दिये जाने उपरांत मरीज को मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अन्तर्गत फार्म भरवाकर 05 लाख तक का मुफ्त उपचार का लाभ दिया गया। वर्तमान में एमिलिया केरकेट्टा पूर्ण रूप से स्वस्थ्य है। उन्होंने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के संवेदनशील पहल के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत योजना के तहत गंभीर रोगों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य राज्य के जन सामान्य को बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही गंभीर बीमारियों के ईलाज में लगने वाले खर्च से बचाना है।

मां ने शराब पीने के लिए नही दिये पैसे तो बेटे ने घर में लगा दी आग

दुर्ग। आरएनएस

जिले के उतई थाना क्षेत्र में एक शराबी युवक ने मां द्वारा शराब पीने के लिए पैसे नही देने पर अपने ही घर में आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है अपने ही घर में आग लगा दी। घटना 2 नवंबर की है।

मिली जानकारी के अनुसार उतई में रहने वाली लक्ष्मी श्रीवास ने अपने बेटे तरुण श्रीवास के खिलाफ थाना उतई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा तरुण आदतन शराबी है। उसके शराब पीने से वो तंग हैं। 2 नवंबर को भी वो शराब के नशे में घर आया और शराब पीने के लिए और पैसे की मांग करने लगा तो उन्होंने पैसे नहीं होने की बात कहते हुए देने से मना कर दिया। इसके बाद वो गुस्से आकर पास गांव में अपने मायके चली गई। शाम को उनके छोटे बेटे का फोन आया कि तरुण ने घर में आग लगा दी है और भाग गया है। आग लगने से उनके घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की तथा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई और उसकी तलाश की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि तरुण मैत्री गार्डन के पास देखा गया है। तुरंत पुलिस की टीम मैत्री गार्ड चौक के पास पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाई।

शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी भेजा गया जेल

धमतरी। आरएनएस

जिले के सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने एक युवती को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करने तथा शादी से इंकार करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 376,506 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसारा थाना सिटी कोतवाली धमतरी में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि लोकेश देवांगन पिता भीम देवांगन उम्र 38 वर्ष साकिन रामपुर वार्ड धमतरी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दिनांक 20.08.22 से 16.11.22 तक लगातार जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया तथा शादी करने कहने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता के लिखित रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में धारा 376,506 भादवि.के तहतअपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पीड़िता एवं गवाहो का कथन एवं घटनास्थल निरीक्षण किया गया। मामले में आरोपी को पकडक़र पुछताछ किया तो उसने जुर्म स्वीकार कर लिया। जिसके बाद आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया एवं आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

प्रसवपीड़ा से बेहाल महिला को अस्पताल पहुंचाने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित

बलौदाबाजार-रायपुर। आरएनएस

प्रसव पीड़ा से बेहाल एक महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाने वाले प्रधान आरक्षक मन्नू लाल धुरव, आरक्षक अकरम खान, आरक्षक तुलेश्वर डडसेना एवं आरक्षक मोहन जांगड़े को सम्मानित किया गया है। लगभग एक माह पहले ग्राम बलौदी थाना पलारी निवासी प्रसव पीड़ा से व्याकुल एक महिला को उचित इलाज हेतु बलौदाबाजार अपने परिवार सहित एक बोलेरो वाहन में लाया जा रहा थे। कि इसी बीच ग्राम सकरी के पास उक्त बोलेरो वाहन का एक्सीडेंट हो गया। इस समय प्रसव पीड़िता महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाना अत्यंत आवश्यक था। इस दौरान थाना सिटी कोतवाली को उक्त एक्सीडेंट की सूचना मिली। तत्पश्चात थाना सिटी कोतवाली पेट्रोलिंग टीम स्टाफ प्रधान आरक्षक मन्नू लाल ध्रुव, आरक्षक अकरम खान, आरक्षक तुलेश्वर डडसेना एवं आरक्षक मोहन जांगडे तत्काल पेट्रोलिंग वाहन के साथ घटनास्थल पहुंचे। घटनास्थल में बोलेरो वाहन का एक्सीडेंट हुआ था, जो की चलने लायक बिल्कुल नहीं था। तत्पश्चात पुलिस स्टाफ द्वारा बिना समय गंवाए पेट्रोलिंग वाहन में प्रसव पीड़िता एवं उनके परिवार के सदस्यों को बैठाकर तत्काल जिला अस्पताल बलौदाबाजार लाया गया, जहां प्रसव पीड़िता का इलाज प्रारंभ किया गया तथा दूसरे दिन प्रसव पीड़िता द्वारा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया गया। अस्पताल में मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। पूरी तत्परता के साथ, प्रसव पीड़िता महिला एवं उसके परिवार की मदद कर उन्हें अस्पताल पहुंचाने के इस परोपकारी कार्य की सराहना एवं प्रशंसा करते हुए आज दिनांक 02.12.2024 को सायं पुलिस अधीक्षक द्वारा इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

पुरस्कृत पुलिस स्टाफ की जानकारी-

1. प्रधान आरक्षक मन्नू लाल ध्रुव थाना सिटी कोतवाली 2. आरक्षक अकरम खान थाना सिटी कोतवाली 3. आरक्षक मोहन जांगड़े थाना सिटी कोतवाली 4. आरक्षक तुलेश्वर डडसेना थाना सिटी कोतवाली

पुलिस ने अंधे कत्ल के गुत्थी 48 घण्टे के अंदर सुलझाया

❐ पानी भरने का विवाद बना हत्या का कारण

❐ महिला आरोपिया भुनेश्वरी विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

राजनांदगांव-रायपुर। आरएनएस

दिनांक 30.11.2024 को प्रार्थी थाना हाजिर आकर अपनी मां श्रीमति रूखमणी बाई साहू की किसी अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या करने की सूचना देने पर थाना डोंगरगांव में मर्ग कायम करने पश्चात अपराध क्रमांक 281/2024 धारा 103 (1) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया। उक्त घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों, एफ.एस.एल. टीम, डॉग स्कॉड एवं सायबर सेल को दिया गया। जिस पर तत्काल पुलिस अधीक्षक राजनादगांव मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में एस.डी.ओ.पी. डोंगरगांव दिलीप सिंह सिसोदिया के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी डोंगरगांव निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व मे थाना डोंगरगांव एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम गठित द्वारा आरोपियों की पतासाजी हेतु आसपास के सी.सी.टी.व्ही कैमरा खंघाला गया साथ ही मुखबीरों को सक्रिय कर पतासाजी की गई। विवेचना के दौरान सी.सी.टी.व्ही. के आधार पर पता चला कि उस दौरान आरोपिया भुनेश्वरी विश्वकर्मा और मृतिका श्रीमति रूखमणी बाई साहू दोनों बस स्टेण्ड के सौचालय के पास नल में पानी भरने आये थे। संदेह के आधार पर भुनेश्वरी विश्वकर्मा पति दिनेश विश्वकर्मा, उम्र-40 साल, पता-इंदिरा आवास डोंगरगांव, थाना डोंगरगांव को मनोविज्ञानिक रूप से गहन पूछताछ किया गया जो अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताई कि वे दोनो प्रतिदिन वहां पानी भरने आते थे इस दौरान पानी भरने के संबंध में अक्सर दोनों में विवाद होती रहती थी। रूखमणी बाई लगभग 04.00 बजे अपने चारो पानी के डिब्बा को लेकर नल के पास आयी तब मौका देख कर आरोपिया भुनेश्वरी विश्वकर्मा अपने हाथ मे रखे पत्थर से रूखमणी बाई के सिर मे वार कर चोट पहुंचायी तब वह भागने लगी लेकिन भुनेश्वरी विश्वकर्मा पुन: उसे पकडक़र खींच कर नल के पीछे काम्प्लेक्स के पास घसीटकर ले गयी एवं पास मे रखे पत्थर से सिर मे बार-बार वार किया एवं पुन: कॉम्लेक्स के पीछे प्रसाधन के पास संकरा जगह मे ले जाकर क्रुरता पुर्वक हत्या कर दिया एवं पत्थर को वहीं पर फेंक दिया, घटना मे प्रयुक्त पत्थर को जप्त किया गया है, आरोपीया के द्वारा जुर्म स्वीकार करने से आज दिनांक 02.12.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय ज्युडिशियल रिमांड पर पेश किया जा रहा है।

मोबाइल स्नेचिंग करना वाला शातिर शहजादा गिरफ्तार, आरोपी से 3,50,000 का मशरूका जब्त

रायपुर। आरएनएस

प्रार्थिया आरचा प्रवीण ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01.12.24 को थाना खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत शंकर नगर स्थित क्रिस्टल आर्केट पास मोटर सायकल सवार एक अज्ञात व्यक्ति आकर प्रार्थिया के हाथ से उसके आई फोन मोबाईल को झपट्टा मारकर छीनकर ले गया, कि प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 523/2024 धारा 304(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लेते हुए एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की टीम को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही घटनास्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करते हुए अज्ञात आरोपी द्वारा घटना में उपयोग किये गये वाहन के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त शातिर चोर शहजादा अली उर्फ भिण्डी के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुये, जिस पर टीम के सदस्यों शहजादा अली उर्फ भिण्डी की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर शहजादा अली उर्फ भिण्डी द्वारा मोबाईल छीनने की उक्त घटना को अंजाम देने के अलावा मोटर सायकल में घुम-घुम कर रायपुर के अलग-अलग स्थानों से राहगीरों के हाथों से अन्य 10 नग मोबाईल फोन झपट्टा मारकर छीनना बताया गया। जिस पर आरोपी शहजादा अली उर्फ भिण्डी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 11 नग मोबाईल फोन एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल जुमला कीमती लगभग 3,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

आरोपी शहजादा अली उर्फ भिण्डी शातिर चोर है, जो पूर्व में भी रायपुर के अलग - अलग थानों से चोरी के कई प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है। गिरफ्तार आरोपी - शहजादा अली उर्फ भिण्डी पिता स्व. मुस्ताक अली उम्र 30 साल निवासी ग्राम कमरिया थाना मौदहा जिला हमीरपुर (उ.प्र.)। हाल पता- रावाभांठा खेल मैदान पास थाना खमतराई जिला रायपुर। कार्यवाही में निरीक्षक नरेन्द्र कुमार मिश्रा थाना प्रभारी खम्हारडीह, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से सउनि. मंगलेश्वर सिंह परिहार, शंकर लाल ध्रुव, प्र.आर. रविकांत पाण्डेय, कृपासिंधु पटेल, आर. प्रमोद बेहरा, महेन्द्र पाल साहू, वीरेन्द्र बहादुर सिंह, विकास शर्मा, धनेश्वर कुर्रे तथा थाना खम्हारडीह से प्र. आर.142 दीपक पटेल तथा आर. 999 सबरूद्दीन खान की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU